

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
----------------	------------------------------------	----------------------------

खातेदारी में भूमि दिया जाना
 या चारागाह भूमि का किफ्त
 परिवर्तन करना अन्यायचित नहीं
 है। अतः वादी का वाद खारिज
 किया जाता है। पत्रावली फैलल
 शुमार की जाकर नम्बर से कम की
 जाकर दायिल दफतर की जाती है।
 निर्णय आज सरे इजलाल सुनाया गया।



उप जिला कलेक्टर
 चौथ का बस्वाड़ा

